

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर  
पीठासीन अधिकारी

श्री महेंद्र सने  
आई.ए.एस.

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेंट
परखनाथ पुत्र जोगनाथ जाति स्वामी, निवासी बडगांव, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर
प्रकरण संख्या अपील		40/2019
राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 अर.एल.आर. एक्ट, प्रकरण संख्या 07/2019 परखनाथ बनाम सरकार		

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्त
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोडेंट
- 3-श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज परोकार

निर्णय

दिनांक:- 15.09.2020

अपीलान्त के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तत्वब किया गया। निष्पत्ति में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपील प्रस्तुत भूमि के दर्ज में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मालमसिंह राजपुत ने जागीर कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आबादी भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानी थी उसका विस्तृत विवरण सूची में पेश किया था जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्द्रांज किया जिसका उस अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची-बी में मकान आबादी भूमि आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही अर्थात् परत भूमि है जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे पिछे पड़े चबूतरा जमीन शामिल है। जागीर कमीशनर ने जालोर के डिप्टी कलेक्टर (जागीर) से जांच करवाई गई उन्होंने बाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट मुन: कमीशनर व न्यायालय में पेश की, उसमें सूची बी के क्रम संख्या 4 में भूमि के पडोसे अंकित किये हैं उसी भूमि पर कोई उजरदारी प्राप्त नहीं होने से पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति मानी है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर) ने दिनांक 9.07/1963 को किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार ने अपील नहीं की है इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। इस निर्णय की प्रकृति में भूमिधारी स्वयं को रेकॉर्ड दुरस्ती कर खसरा नम्बर 791 में ओरण की बजाय गै.भु. आबादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि रेवेन्यू रेकॉर्ड को अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इसी जागीरदार के नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्त ने आबादी भूमि खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तत्कालीन तहसीलदार भानुपाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को ओरण की मानकर बेपरवाई व जुमाने का आदेश किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से विधि आधारित

पर यह अपील पेश की जा रही है :- पटवारी हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम बार सवत् 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुए प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रूपये का जुर्माना लगाया है यह निर्णय समा पहावली में उपलब्ध ऑर्डर शीट दिनांक 26/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष किया है कि कब्जाधारी जागीर कमीशनर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण होने योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी आवेदिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीशनर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को पट्टा से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 का मौका देखा, कमीशनर के निर्णय की सूची बी में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की मौके पर जांच की, उस वक्त चक्की व मकान पाये गये लिखा है, जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पत्ति की सूची 1968-59 में पेश की। जिसका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी जिसके चारो तरफ पुरानी काटो की बाड़ थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अब चक्की व मकान नहीं मिले। वेकन भौतिकीय ने चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारो तरफ पुरानी बाड़ जागीरदार की थी उसमें अब दुकान आवासीय मकानात है जागीरदार की निजी भूमि के पट्टों बतये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने की बात बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पत्ति की सूची बी के क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिसमें से अपीलान्त ने 11 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट रास्ता प्लस 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बैचाना के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया। इसके बाद अपीलान्त ने ग्राम पंचायत से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाद जांच आबादी मानते हुए पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बैचाननामा पंजीयन किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ एस्टापल्ल के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विवंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जुर्माने के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर सायल व उनके अधिवक्ता की गैर हाजिरी में दिया गया। जो निर्णय में स्पष्ट है निर्णय में न तो अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब

पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला नहीं दिया जवाब के साथ कुल 20 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सौ. पी.सी के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उसी दिन नकल मांगी व उसी दिन मिला। उसके बाद अन्य नकले व राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेड का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायहित में अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में प्रथम में आया है इससे पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके आर्गर्स की थी जागीरदार खुद काशत की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ी गई भूमि पर आबादी भी बना सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम गेजटमेंट का पैमाना कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रेकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो मानवीय भुल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तर्फ उपस्थित रहे है उन्होने कोई उजरदारी नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में अब केवल रेकॉर्ड में गलत रूप में ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कब्जे को बेदखल कर जूरमाना कर वसुल का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेक्टरमेंट ऑथोरिटी ने गांव के ओरण के रकबे में गत 10 मुकाबलों वृद्धि की है जिससे भी साबित है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से अमान्यता की गई है। पूर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791, ग्राम बडगांव की मुख्य आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील इस न्यायालय के क्षेत्रधिकार की है। इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षेत्रधिकार व श्रवणाधिकार गण है अर्थात् पर नियमानुसार कोर्ट फीस पेश है हमने इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपीलान्त का विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वर्काल अपीलान्त द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पटवर्गी हल्का बडगांव द्वारा गैर सायल परखनाथ के विरुद्ध मांजा बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 315 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिद्वेष किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 08/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 09.03.2012 को निर्णय प्राप्त वर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश पूर्व बतौर जुमाना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या 37/2012 परखनाथ बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 को अपीलान्त को

अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध गैर साधल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली कैम्प जालोर(राजस्थान)के न्यायलय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 38/2012 परखनाथ बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध गैर साधल द्वारा निगरानी/एल.आर/1456/2015/जालोर परखनाथ बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.09.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी परखनाथ पुत्र जोगनाथ जाति स्वामी साकिन बडगांव द्वारा अर्ध काल में गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाना है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से वतौर जुर्माना लगान दर 1/- रूपये का फास गुण 50/- अक्षर पचास रूपये मात्र किया जाता है जो वसूल हो। विचारणीय अपील प्रकरण संख्या 07/2019 सरकार बनाम परखनाथ में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नांकित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। कि वादग्रस्त आराजा ग्राम बडगांव के एरर्या क्षेत्र 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर के न्यायलय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची में एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अर्ध काल भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जर्जिन है। उप जिलाधीश (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जर्जिन है को आबादी में डोना बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने पर जयपुर रजिस्टर्ड बेचन एरर्यावेज के अपीलांट को बेची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम वादग्रस्त बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा पाना बिजली के कनेक्शन भी लिये हुये है। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजा पर कांचिज है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर कालो बंधी संगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखने जत्ता आ रखा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा जबकि इस प्रकरण में अपीलांट

अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नहीं होता है।क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है।तथा भू-ग्रण्ड रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजो के लिये उपधारणा - अधिकार अभिलेख में दिये गये समस्त इन्द्राजो के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक वा विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये।इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नहीं है इस अपीलॉट साचित करने में सफल रहा है।क्योकि प्रकरण संख्या 07/2019 सरकार वनाम परखनाथ की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन वादी है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है।जागीर कमिश्नर के निर्णय की पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है।जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजकीय अधिकारवा उपस्थित।तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अपीलांट को नायब तहसीलदार कोर्ट से बंदखती अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योकि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन ओरण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि वादत खसरा नंबर 791 नहीं है।केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने वा पिछाडी खुर्ती जमीन लिखा हुआ है।आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।विवारित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है।जिसकी पूर्व में ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है।जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है।रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है।तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है।पत्रावली पर उपरोक्त विवाद अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बंदखती व जुर्माना के आदेश दिये गये है।अतःआपारहीन अपील को खारज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं ग्रहण के विन्दुओं पर ध्यान भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 315 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2068 में श्री परखनाथ पुत्र जगेनाथ जाति स्वामी निवासी बडगांव द्वारा नज्दा उ कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई।नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 08/2012 सरकार वनाम परखनाथ दर्ज कर गैर सायल परखनाथ को जरिये नोटिस मुनवाई हेतु तयब किया गया।पेशी तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर बाद मुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बंधन करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये में दंडित किया गया।निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जायोर के न्यायालय में अपील संख्या

37/2012 परखनाथ बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 38/2012 परखनाथ बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलाधीन निर्णय बहाल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1456/2015/जालोर परखनाथ बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रांत प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में लभ्य पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आदेशों में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी परखनाथ पुत्र जोगनाथ जाति ब्राम्हो साकिन बडगांव द्वारा अग्रभूमी रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को भाग 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर भूके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर अनुमाना लगान दर 1/- रुपये का पचास गुणा 50/- अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है जो बसूल हो। विचाराधीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के मुकरमा संख्या 07/2019 सरकार बनाम परखनाथ में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांत की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 27.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग खूष भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्रकी का मकान जिसकी सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आबादी में होना बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि का जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से राशि बँचन दस्तावेज के अपीलांत द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी जारी करना भी अपीलांत द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पोंडेंट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्रकी का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुये है। जिसकी पूर्व से ही किसम गैर मुमकिन ओरण का कसब अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलांत द्वारा वादावत भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों का

आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो जमाबंदी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से संबंधित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजो साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि हा चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलान्त वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रेकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा चडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण से किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलान्त किस्म भी प्रकार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मुकदमा संख्या 07/2019 सरकार बनाम परखनाथ में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फाईल नुमा होकर रजिस्टर में बम हो।

59—

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर, जालौर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया।

59—

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर, जालौर